Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या : 300–(नि0)मा0सं0 / उपाकालि / 57अनु'ए' / वी–2

दिनांक : 04फरवरी,2005

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 एंव पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल लि0 की विभिन्न इकाईयों / कार्यालयों के लिए हल्के एंव भारी वाहनों की अनुमन्यता हेतु संलग्नक–अ के अनुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं ।

2– वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की प्रकिया विषयक पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 के ज्ञापांक 42–जीए / राविप–12 / 98–5[5]जीए / 97,दिनांक 28–02–1998 के प्राविधान पूर्ववत् प्रवृत्त रहेंगें, केवल विभागीय वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने तथा उनके स्थान पर नये वाहन कय किये जाने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं के लिए संलग्नक–ब के अनुसार संशोधित प्रारूप निर्धारित किया जाता है ।

3– विभागीय वाहनों के लिए अधिकृत अधिकारी को वाहन उपलब्ध न होने या उपलब्ध पुराने वाहन को सम्बन्धित महाप्रबन्धक के कय / कार्य समिति द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी मात्र कारपोरेशन की पूर्व अनुमति से किराये पर वाहन लेने के लिये अधिकृत होंगें। इस सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा विभिन्न अधिकारियों / समितियों को प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निर्णय लिये जाएंगें ।

4– अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही वाहनों का उपयोग सुनिश्चित किये जाने तथा निष्प्रयोज्य वाहनों की शीघ्र सर्वे रिर्पोटिंग व नीलामी का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उप महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक का होगा । खण्डों में स्थित निष्प्रयोज्य वाहनों की सर्वे रिर्पोटिंग व नीलामी की कार्यवाही किये बिना किसी भी स्थिति में किराये पर वाहन लिया जाना निषिद्ध होगा ।

संलग्नक :– यथोक्त ।

अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 300–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 57अनु'ए' / वी–2,तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
2– प्रबन्ध निदेशक,पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड,देहरादून ।
3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक / निदेशक(वित्त / मानव संसाधन), उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– अधिशासी निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड,देहरादून ।
5– कम्पनी सचिव,उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
6– समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0 ।
7– समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / उप निदेशक(आन्तरिक सम्प्रेक्षा)उ0पा0का0लि0 ।
8– समस्त अधिकारी एंव अनुभाग, उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
9– का0ज्ञा0पंजिका / कट फाइल / मास्टर कट फाइल ।

PHMANV2

[डा0 पी0सी0जोशी]
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

Scanned by CamScanner

... 04फरवरी,2005 का संलग्नक :–

(अ)

क्रम सं0	कार्यालय अधिकारी पद	हल्के वाहन की अनुमन्यता	टिप्पणी
1–	कारपोरेट कार्यालय		
	अ. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक	वातानुकूलित कार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक व पूर्ण कालिक निदेशकों के कैम्प कार्यालय में एक डीजल चालित एम्बेसडर कार भी सम्बद्ध होगी ।	
	ब. महाप्रबन्धक	एक डीजल चालित एम्बेसडर कार	
	स. मुख्यालय में तैनात अन्य अधिकारी	निगम के विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार पूल से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ।	केन्द्रीय पूल में आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे । प्रारम्भ में पूल चार वाहनों के साथ कार्य करना प्रारम्भ करेगा ।
	द. आन्तरिक सम्प्रेक्षा स्कन्ध	एक डीजल चालित कार	
2–	अ. महाप्रबन्धक (वितरण/पारेषण)	एक डीजल चालित एम्बेसडर कार (टिप्पणी– यदि पुरानी विभागीय पेट्रोल चालित कार पहले से उपलब्ध है तो अनुमन्यता तदानुसार रहेगी ।)	
	ब. महाप्रबन्धक (वितरण/पारेषण) के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं उपमुख्यलेखाधिकारी (आंचलिक लेखा) द्वारा कार्यों के निरीक्षण, परीक्षण एवं सम्प्रेक्षण, सचिवालय, विधान सभा एवं अन्य स्थानों पर सूचना इत्यादि पहुँचाने हेतु ।	एक डीजल चालित जीप	
	स. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर बिलिंग सर्विस सेन्टर	एक डीजल चालित जीप	
3–	उपमहाप्रबन्धक (वितरण/द्वितीय कार्य/पारेषण/जानपद)	एक डीजल चालित एम्बेसडर (टिप्पणी– यदि पुरानी विभागीय पेट्रोल चालित कार उपलब्ध है तो अनुमन्यता तदानुसार रहेगी ।)	

क्रमशः–पृष्ठ 2 :–

Scanned by CamScanner

4—	क्षेत्र में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण/पारेषण/जानपद/कार्यशाला/भण्डार/परीक्षण एवं परिचालन/द्वितीय कार्य/ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड)	एक डीजल चालित जीप	
5—	अ. उपखण्ड अधिकारी (वितरण/पारेषण/द्वितीय कार्य)	एक डीजल चालित जीप	
	ब. उपखण्ड अधिकारी (जानपद)	पहाड़ी क्षेत्रों में डीजल चालित जीप व मैदानी क्षेत्रों में एक मुख्यालय पर दो उपखण्ड अधिकारियों के मध्य एक डीजल चालित जीप	
	स. सहायक अभियन्ता (परीक्षण एंव परिचालन)	डीजल चालित जीप/वैन अथवा समकक्ष वाहन	
	द. सहायक अभियन्ता (मीटर्स/परीक्षण)	प्रत्येक परीक्षण खण्ड में एक डीजल चालित वैन/पिकअप अथवा समकक्ष वाहन	
6—	भारी वाहन :–		
	अ. वितरण/प्रसारण खण्ड के लिए	डीजल चालित ट्रक/केन्टर अथवा समकक्ष वाहन आवश्यकतानुसार– एक	
	ब. भण्डार खण्ड/कार्यशाला खण्ड/द्वितीय कार्य खण्ड	डीजल चालित ट्रक आवश्यकतानुसार– एक	
	स. अनुरक्षण कार्यों हेतु (केवल देहरादून नगर के लिए)	हाईड्रोलिक प्लेटफार्म युक्त वाहन प्रत्येक नगरीय वितरण खण्ड में एक	

Scanned by CamScanner

UTTARANCHAL POWER CORPORATION LIMITED
FORMAT FOR CONDEMNATION OF VEHICLE

1- Model and make of the vehicle
2- Category to which the Vehicle pertains Viz Jeep/car/Truck
3- Date of purchase
4- Date since in use.
5- Date since laying without of use.
6- Total period of use (5-4)
7- Total distance covered during the Period of use.
8- Is the above period/distance more then the minium limits prescribed in Bo. No. 42-6A/SEB-12/98 dated 28-02-98. If it is less, detailed justification for condeming the vehicle may be given
9- Was the Vehicle ever involved in an Accident and /or was there negligence. It so. the details therefore alongwith the action taken against the punishment awarded to person responsible may be indicated.
10- Expenditure incurred on repairs of the vehicle and distance covered.

Expenditure incurred per Km	Exp. Incurred on repairs	Distance covered in Km.	Average Expenditure per Km.
A) During the total period of use			
B) In the last five years.			
C) In the last two years			
D) In the last one years			

11- Reasons which necessitated survey reporting of the vehicle
12- Any other comments relevant to the case

Signature of EE with seal of office

Comments/Recommendations of Inspecting Officers (not below DGM) in accordance with B.O. No. 8049-GA/SEB dated 1-08-77

Certified that the above Vehicle was inspected by the undersigned on and is fit for survey reporting/condemnation. This is also certified that the expenditure on repairing the vehicle would be in excess of 65% of existing purchase price of the vehicle and the repairing would not be economically viable.

Signature of DGM

Scanned by CamScanner

FROM NO. – 18
FOR SURVEY REPORT OF TOOLS & PLANTS

Sl. No.	Description of Article	Book value Amount (Rs.)	Present value Amount (Rs.)	Date of receipt of Vehicle	Remark of the incharge explaining the cause of becoming unserviceable	Remark/ Recommendations of the divisional officer	Recommendation of the Dy.G.M.

Scanned by CamScanner

Uttaranchal Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Tel: 91-0135-2763672-75
Fax: 95-135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपकम)
ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून-248001
दूरभाष: 91-0135-2763672-75
फैक्स: 95-135-2769771

पत्रांक :- 1338 निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/वाहन

दिनांक :- 24-05-05

कार्यालय ज्ञापन

कार्पोरेशन ज्ञापांक 300नि(मा0सं0)/उपाकालि/57 अनु ए/वी-2, दिनांक 04.02.2005 द्वारा उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तरांचल लिमिटेड की विभिन्न इकाईयों/कार्यालयों के लिये हल्के तथा भारी वाहनों की अनुमन्यता विषयक मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जिसमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त बिन्दु (3) में यह प्राविधान दिया गया है कि विभागीय वाहनों के लिये अधिकृत अधिकारी को वाहन उपलब्ध न होने पर या उपलब्ध पुराने वाहन को महाप्रबन्धक की कय/कार्य समिति द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी मात्र कार्पोरेशन की पूर्व अनुमति पर वाहन लेने के लिये अधिकृत होंगे ।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्पोरेशन मुख्यालय से इस सम्बन्ध में पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त वाहन किराये पर लेने के लिये प्रकिया आरम्भ करने आदि में लग रहे समय को दृष्टिगत करते हुये सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा कार्पोरेशन मुख्यालय के स्थान पर सम्बन्धित क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत इकाइयों/कार्यालयों को वाहन किराये पर लेने हेतु अनुमति दिये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है ।

कार्पोरेशन ज्ञापांक 300, दिनांक 04.02.2005 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 1338 निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/वाहन/तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून ।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(वित्त/मानव संसाधन) उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
4. अधिशासी निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि/ पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तरांचल लिमिटेड ।
6. कम्पनी सचिव, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(वितरण/पारेषण/जानपद/वित्त,आन्तरिक सम्प्रेक्षा) उपाकालि ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता(वितरण/पारेषण/जानपद) उपाकालि ।
9. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उपाकालि मुख्यालय, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
10. का0ज्ञा0पं0/कट फाइल ।

(आर0ए0शर्मा)
निदेशक(मानव संसाधन)

Scanned by CamScanner

(93)

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501 FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड
देहरादून–248001
दूरभाष: 0135-2767501 फैक्स: 0135-2769771

पत्रांक : –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/वाहन दिनांक 01/8/14

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा दिनांक 30.06.2014 व 01.07.2014 को निदेशक मण्डल की 66वीं बैठक के बिन्दु सं0 6.32 में लिये गये निर्णय के आधार पर कॉरपोरेशन मुख्यालय में तैनात वाहन हेतु अनुमन्य अधिकारियों को उनकी निजी कार के प्रयोग अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन के प्रयोग का विकल्प चुनने की व्यवस्था लागू करने हेतु कॉरपोरेशन हित में शासनादेश संख्या 65/ix-1/2013/215/2011 दिनाँक 17.01.2013 को उपाकालि में अंगीकार किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक 6873 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/वाहन /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव(ऊर्जा) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, निदेशक (मा0सं0/परियोजना/परिचालन/वित्त), उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियंन्ता स्तर–1, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
5. कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियंन्ता स्तर–2, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियंन्ता, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
10. अधीक्षण अभियन्ता(मुख्यालय)/अधिशासी अभियंन्ता, कॉरपोरेट मेन्टेनेंस, उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून को शासनादेश संख्या 65/ix-1/2013/215/2011 दिनाँक 17.01.2013 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।
11. अधिशासी अभियंन्ता(सूचना प्रौद्योगिकी) उपाकालि, वि0का0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
12. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

01.08.14
(के0बी0चौबे)
उपमहाप्रबन्धक(औ0सं0एवं जं0प्र0)

संख्या– 65 /IX-1/2013/215/2011

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3–मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 17 जनवरी, 2013

विषयः–राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के कय के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन स्थापित विभागों में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को वाहन अनुमन्य किये गये है। इस अनुमन्यता के आधार पर विभागों द्वारा बजट के अनुरूप वाहन कय किये जाते हैं। कुछ विभागों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार से वाहन किराये पर लिये जाते हैं। वर्तमान में राज्य में वाहनों के कय एवं रख–रखाव से सम्बन्धित व्यवस्था में एकरूपता न होने के कारण शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासकीय वाहन के कय के सम्बन्ध में निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय वाहनों के मॉडल/मूल्य की अनुमन्यता।

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी*	अधिकतम वाहन कय मूल्य
A	मा0 केबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस व समकक्ष अधिकारी	15 लाख तक
B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आई.जी. पुलिस एवं अन्य समकक्ष	12 लाख तक
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	8 लाख तक
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष	6 लाख तक

वाहनों के मॉडल –

आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा शासकीय क्रय के माध्यम से अधिप्राप्त किये जाने वाले उपरोक्त श्रेणीवार निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर आने वाले वह डीज़ल अथवा पेट्रोल चलित वाहन खरीदे/प्राप्त किये जा सकेंगे जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची में सम्मिलित होंगे।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची से बाहर के मॉडलों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2. शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय से अधिप्राप्त करने सम्बन्धी नीति:–

शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय आदि अधिप्राप्ति करने वाली प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से अधिप्राप्ति के लिये निम्नलिखित विकल्प होंगे:–

1. निजी वाहन के प्रयोग का विकल्प।
2. आउटसोर्सिंग से वाहनों को प्राप्त करने का विकल्प।
3. शासन द्वारा वाहनों का स्वयं क्रय एवं संचालन करना सबसे महंगा विकल्प है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिप्राप्ति के निम्नलिखित विकल्प होंगे–

क्र. स.	श्रेणी		वाहन क्रय मूल्य–रेंज (मार्च, 2012 के मूल्य)	प्रणाली
1	A	Ministers, CS, DGP, Equivalent	15 लाख तक	शासन द्वारा अधिप्राप्ति अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा
2	B	Pri. Secy., Secy, Comm. Equivalent	12 लाख तक	प्रथम विकल्प:–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्प:–आउटसोर्सिंग
3	C	Add. Secy., DM, SSP, Equivalent	08 लाख तक	प्रथम विकल्प:–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्प:–आउटसोर्सिंग
4	D	Others Below Category C above	06 लाख तक	प्रथम विकल्प:–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्प:–आउटसोर्सिंग
5	O	Negative List (Comm. DM, etc.)	As per B,C,D above	शासन द्वारा अधिप्राप्ति

<u>Category "O" (Negative list) :</u>

श्रेणी "O" (नेगेटिव लिस्ट) में वह पद हैं जो सवैधानिक हैं अथवा प्रशासन की गोपनीयता/ संवेदनशीलता/सुरक्षा के दृष्टिगत से ऐसे पद हैं, जिनके लिए वाहनों की अधिप्राप्ति/संचालन/रख–रखाव आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना उचित नहीं होगा। इन पदों हेतु अधिप्राप्ति का दायित्व शासन के सम्बन्धित विभागों का ही होगा। इस श्रेणी में निम्नलिखित पद होंगे –

1. श्रेणी– 'A' के सभी पद, परन्तु श्रेणी– 'A' के लिए आउटसोर्सिंग का विकल्प भी खुला रहेगा।
2. मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, महानिदेशक पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य जिन्हें समय–समय पर शासन द्वारा इंगित किया जाय।

3. शासकीय अधिकारियों को स्वचालित निजी वाहन व्यवस्था अनुमन्य करने तथा इस हेतु भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नीतिः–

1. श्रेणी बी0 सी0 व डी0 के अधिकारियों को सर्वप्रथम अपने निजी वाहन को शासकीय कार्य हेतु प्रयोग करने का विकल्प रहेगा। प्रथम चरण में यह विकल्प केवल सचिवालय तथा देहरादून मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को ही अनुमन्य होगा।

2. इस विकल्प को चुनने वाले अधिकारियों को निजी वाहन प्रयोग पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. निजी वाहन के प्रयोग किए जाने पर दावे के भुगतान हेतु अनुमन्य अधिकतम सीमा निर्धारण करने के अन्तर्गत निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया जायेगा–

   1. Depreciation on capital cost say 6% of the capital cost. यदि वाहन की कीमत औसतन सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए रू0 दस लाख रखी जाए तो ₹ 60,000/– Depreciation प्रतिवर्ष होगा अर्थात् औसतन ₹ 5000/– प्रतिमाह।
   2. प्रतिमाह 120 लीटर पेट्रोल के औसत के आधार पर ₹ 70 प्रति लीटर के अनुसार ₹ 8,400/– प्रतिमाह ईधन व्यय।
   3. वाहन चालक का मानदेय ₹ 7000/– प्रतिमाह।
   4. प्रतिवर्ष वाहन का बीमा अर्थात् लगभग 2.5 प्रतिशत वाहन की कीमत का अर्थात् ₹ 25000/– प्रतिवर्ष जो हर वर्ष घटता रहेगा को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 1500/– प्रतिमाह बीमा मद में व्यय।
   5. वाहन का रख–रखाव प्रतिमाह ₹ 1000/–
   6. इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु 1 से लेकर 5 तक कुल ₹ 23,000/– प्रतिमाह होगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए C एवं D श्रेणी के अधिकारियों के लिए उनके वाहन की कम लागत एवं शहर में 10 से 12 कि0मी0 प्रतिलीटर के औसत को देखते हुए क्रमशः 100 लीटर एवं 80 लीटर प्रतिमाह तथा वाहन चालक के रूप में ₹ 7000/– प्रतिमाह एवं रख–रखाव को देखते हुए श्रेणी C के लिए ₹ 20,000/– तथा D श्रेणी के लिए ₹ 17,000/– की अनुमन्यता होगी।

	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
	वाहन की औसत कीमत ₹ 10लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 7 लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 5 लाख
Depreciation @ 6% की दर से प्रतिमाह धनराशि	5,000	3,500	2,500

पेट्रोल	8,400(120 लीटर)	7,000 (100 लीटर)	5,600 (80 लीटर)
वाहन चालक मानदेय	7,000	7,000	7,000
बीमा	1500	1250	1000
रख–रखाव	1000	750	500
कुल योग	22,900– 23,000	19,500–20,000	16,600–17,000

2– निजी वाहन प्रयोगकर्ता द्वारा reimbursement claim की अनुमन्य सीमा तक प्रतिमाह अपना दावा आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाए जाने पर आयकर अधिनियम की धारा 10(14) नियम 2BB के अन्तर्गत आयकर से छूट प्रदान है। वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा निवास से कार्यालय आने जाने हेतु वाहन के उपयोग पर ₹ 500/– की कटौती करते हुए भुगतान दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि कोई अधिकारी किसी माह में 15 या उससे अधिक दिन कार्यरत रहता है तो अनुमन्यता की धनराशि की सीमा के अन्तर्गत अन्यथा 15 दिन से कम रहने पर आधी धनराशि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि 15 दिन से कम रहने पर भी वाहन चालक एवं Depreciation आदि का व्यय तो होता ही रहेगा। प्रत्येक वर्ष के पश्चात् ईंधन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होने पर निजी वाहन प्रयोग दरों को पुनरीक्षित करने पर विचार किया जाएगा।

तत्काल प्रभाव से नई गाड़ियों (A श्रेणी को छोड़ते हुए) के क्रय एवं वाहन चालक की भर्ती पर रोक लगायी जाती है। ग्रेड पे 7600/– से निम्न अधिकारियों को चिन्हित कर वाहन की आवश्यकतानुसार एवं पूर्ण औचित्य के साथ प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त वाहन अनुमन्य किया जायेगा। सभी विभागाध्यक्षों से वर्तमान में उपलब्ध वाहन तथा नियमित वाहन चालकों की संख्या भी प्राप्त कर ली जाए जिसके आधार पर निर्णय लेने में सुगमता होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी A के द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों को यदि वापस करते हुए नए वाहन की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति द्वारा प्रथमतः निष्प्रयोज्य वाहन के बदले श्रेणी A से प्राप्त वापस वाहन (Handed Down Cars) को प्रयोग में लाया जाएगा। यदि Handed Down Cars की उपलब्धता नहीं है उस स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी प्रकार नए वाहन के क्रय की रोक लगने के पश्चात् B,C एवं D श्रेणी के अधिकारियों द्वारा उन परिस्थितियों में जब उनको उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहन निष्प्रयोज्य की श्रेणी में आ जाते हैं तब उन्हें भी Handed Down Cars उपलब्ध कराई जाएंगी। Handed Down Cars की उपलब्धता न होने पर उन्हें निजी कार का प्रयोग सरकारी ड्यूटी के लिए अनुमन्य किया जा सकता है, यदि अधिकारी निजी कार का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

बाह्य स्रोत से वाहन की उपलब्धता कराए जाने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में अपर परिवहन आयुक्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, अपर सचिव वित्त एवं आर0टी0ओ0, देहरादून की एक कमेटी गठित होगी, जिनके द्वारा मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए बाह्य एजेन्सी से विभिन्न माडलों की वाहनों के लिए निविदा आमंत्रित करके दरें प्राप्त की जायेंगी, जिसमें ईंधन व्यय शामिल नहीं होगा तथा एक माह में औसत अधिकतम दूरी के उपयोग के बाद एक बढी हुई दर भी हो सकती है। इस प्रकार बाह्य स्रोत से निर्धारित श्रेणी वाले अधिकारियों के लिए विभाग समान दरों पर वाहन किराए पर ले सकेंगे।

4. उपरोक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप शासकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली स्थिति के निस्तारण सम्बन्धी नीतिः–

आउटसोर्सिंग तथा रिइम्बर्समेन्ट प्रणाली के प्रचलित होने पर कुछ संख्या में वर्तमान में सेवारत शासकीय चालक वाहनहीन/redundant हो जायेंगे। उस स्थिति में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

1. भविष्य में नये चालकों की नियुक्ति को सामान्यतः प्रतिबन्धित कर दिया जाय तथा ए (A) श्रेणी के महानुभावों हेतु चालकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पृथक से तय कर ली जाय।
2. वर्तमान में redundant कार्यहीन/वाहनहीन हुये चालकों को सर्वप्रथम एक आकर्षक वी.आर.एस. (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प दिया जाय।
3. तदोपरान्त बचे हुये चालकों को शासन के अन्य विभागों में चालकों की रिक्त पदों पर सेवा–स्थानान्तरित किया जाना होगा।
4. बचे हुये वाहन चालक वर्तमान में उपलब्ध शासकीय वाहनों पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त चारों विकल्पों के कियान्वयन हेतु विस्तृत नीति/गणना/व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से की जानी होगी।

वाहनों की लागत सीमा को देखते हुए श्रेणी A के लिए बाजार दर पर तथा अन्य सभी श्रेणियों के लिए DG S&D की दरों पर वाहन कय किया जायेगा। वर्तमान में उपलब्ध वाहनों एव उनकी कीमत को देखते हुये विभिन्न श्रेणी के लिए निम्न मेक के माडल उपलब्ध कराये जायेगें तथा सभी वाहनों का रंग सफेद होगा।

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	वाहन का अधिकतम मूल्य	माडल
A	मा0 कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस एवं समकक्ष अधिकारी.	15 लाख तक	1-Toyota-Innova VX(Diesel) 2-Skoda-Laura 3-Honda-City 4-Mahindra XUV 500
B	प्रमुख सचिव,	12 लाख तक	1-Toyota-Innova 2-Honda-City

(94)

	सचिव, मण्डलायुक्त, आईजी पुलिस, अन्य समकक्ष		3-Maruti-SX4 4-Swift Disire
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	08 लाख तक	1-Maruti-SX4, Swift Disire, Ertiga 2-Tata-Indigo, Manza
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष	06 लाख तक	1-Tata-Indigo, CS 2-M &M Bulerrro

5— उक्त के अतिरिक्त दायित्वधारी/दर्जाधारी व समकक्ष महानुभावों को एम्बेसडर कार अनुमन्य होगा।

6— उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या- 65 /ix-1/2013/215/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2— प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5— समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
8— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
9— सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

(100)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: dhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांकः– —निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / का0अनु0 / वाहन दिनांकः 29/04/2023

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा दिनांक 30.06.2014 व 01.07.2014 को निदेशक मण्डल की 66वीं बैठक के बिन्दु संख्या 66.32 में पारित संकल्प संख्या 66.32 में लिये गये निर्णय के आधार पर कारपोरेशन मुख्यालय में तैनात वाहन हेतु अनुमन्य अधिकारियों को उनकी निजी कार के प्रयोग अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन के प्रयोग का विकल्प चुनने की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6873–निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / का0 अनु0 / वाहन दिनांक 01.08.2014 को अवक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा संशोधित / अवक्रमित शासनादेश संख्या 212(1)/IX-1/2016/2011/2023 दिनांक 17-02-2023 को दिनांक 01.04.2023 से कारपोरेशन में अंगीकार किया जाता है।

उपाकालि में उपरोक्त वर्णित शासनादेश में उल्लेखित श्रेणीयों में श्रेणी बी में निदेशक स्तर के अधिकारी, श्रेणी सी में अधिशासी निदेशक स्तर के अधिकारी, श्रेणी डी में मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी तथा श्रेणी ई में अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक एवं अन्य वाहन हेतु अर्ह अधिकारी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः–1387–निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / का0अनु0 / वाहन तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
3. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन /वित्त /परियोजना), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
5. कम्पनी सचिव एवं महाप्रबन्धक (विधिक), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) / अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून को शासनादेश संख्या 212(1)/IX-1/2016/2011/2023 दिनांक 17-02-2023 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
11. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
12. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(ई0 डी0 एस0 खाती)

महाप्रबन्धक (मा0 सं0)

संख्याः 212 / IX–1 / 2016 / 2011 / 2023

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2023

विषय : राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु वाहन क्रय/अधिप्राप्ति नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/IX–1/2016/2011/2016 दिनांक 10 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के ऐसे अधिकारियों जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य है, के उपयोगार्थ वाहन क्रय/अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2016 निर्गत होने के उपरान्त वाहन निर्माण सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि, अनिवार्य किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों, प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उच्चीकृत मानकों, स्पेयर पार्ट्स तथा ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि आदि परिस्थितियों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाहन क्रय/अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रचलित उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2016 को अवक्रमित करते हुए ऐतद्विषयक अग्रेत्तर प्रस्तरों में यथाउल्लिखित नवीन नीति निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. शासकीय वाहन क्रय हेतु नवीन मानक एवं प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश :

(1) राज्य के विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं ऐसे अधिकारियों जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य है, के उपयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निम्न तालिका में यथाउल्लिखित श्रेणीवार अधिकतम वाहन क्रय मूल्य अनुमन्य होंगे :–

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य (₹ में)	ई–वाहन की दशा में क्रय मूल्य (₹ में)
1	2	3	4
ए	मा. मंत्रीगण, मुख्य सचिव, मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मा. आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (HoFF), महानिदेशक पुलिस, प्रमुख सचिव तथा अन्य समकक्षीय।	25 लाख	35 लाख
बी	सचिव, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष एवं समकक्षीय।	20 लाख	25 लाख
सी	अपर सचिव, अपर विभागाध्यक्ष, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपर पी.सी.सी.एफ., जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक एवं समकक्षीय।	18 लाख	20 लाख
डी	विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, मण्डल/सम्भाग स्तरीय अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष एवं समकक्षीय।	14 लाख	16 लाख
ई	नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य हो।	10 लाख	12 लाख

(2) विभिन्न श्रेणी के महानुभावों/अधिकारियों को शासकीय वाहन की अनुमन्यता तथा पदीय समकक्षता (यथा आवश्यकता) निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर निर्णय लिए जायेंगे और अनुमन्यता/समकक्षता निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय निर्णय की प्रक्रिया में यह नीति बाधक नहीं होगी।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, एक अधिकारी को एक समय पर एक ही स्रोत से वाहन अनुमन्य होगा, भले ही सम्बन्धित अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग/पद का प्रभार हो।

(4) उक्त तालिका में यथाउल्लिखित श्रेणी-ए के महानुभावों/अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों के ऐसे महानुभावों/अधिकारियों जिनके पदीय कर्तव्यों की विशिष्ट प्रकृत्ति के दृष्टिगत उनके लिए शासकीय वाहन अपरिहार्य हो, को छोड़कर अन्य श्रेणी के महानुभावों/अधिकारियों के उपयोगार्थ शासकीय वाहन क्रय के स्थान पर वाहन व्यवस्था यथासंभव अगले प्रस्तरों में प्रदत्त प्राविधान के अनुसार बाह्य स्रोत से किराए पर वाहन लेकर (Outsourcing) अथवा किराया प्रतिपूर्ति के आधार पर निजी वाहन उपयोग करने की अनुमति देकर की जायेगी।

(5) विभागों के द्वारा अनुमन्य लागत की सीमा के अन्तर्गत प्रथमतः GEM के माध्यम से वाहन क्रय किए जायेंगे, किन्तु यदि चयनित वाहन मॉडल GEM में उपलब्ध न हो तो यथाप्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए क्रय की कार्यवाही/अधिप्राप्ति की जायेगी।

(6) सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः G.S.R. 29(E) दिनांक 16 जनवरी, 2023 के द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 52 के पश्चात् नवीन नियम 52(क) अन्तःस्थापित करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय से सम्बन्धित वाहनों (देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन, आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहन-बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन-को छोड़कर) के पंजीकरण की वैधता वाहन के आरम्भिक पंजीकरण के दिनांक से 15 वर्ष निर्धारित करते हुए यह भी प्राविधान किया गया है कि 15 वर्ष की समाप्ति के पूर्व वाहन का पंजीकरण नवीनीकृत किया गया हो तो ऐसा पंजीकरण आरम्भिक पंजीकरण के दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि को रद्द हुआ माना जायेगा।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित उक्त नियम के आलोक में इंगित सरकारी विभागों/संस्थाओं/निकायों के अन्तर्गत 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहन का संचालन अनुमन्य नहीं रह गया है, अतः नवीन वाहन क्रय हेतु निर्णय लेते समय सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके प्रभाराधीन विभाग/संस्था/निकाय में 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहन का संचालन नहीं हो रहा है और यदि इस श्रेणी के वाहन उपलब्ध हों तो ऐसे वाहनों को नियमानुसार निस्तारित (Scrap) करते हुए उसके स्थान पर प्रतिस्थानी वाहन के क्रय (यदि उक्त सामान्य निर्देशानुसार प्रतिस्थानी वाहन का शासकीय वाहन होना अपरिहार्य हो) को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐतद्विषयक वस्तुस्थिति का स्पष्ट उल्लेख वाहन क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव में अवश्य किया जायेगा।

(7) शासकीय वाहन के उपयोगकर्ता को ईंधन की मात्रा सम्बन्धी मासिक अनुमन्यता/ऊपरी सीमा को क्रयशुदा नये मॉडल के वाहनों की प्रति किलोमीटर औसत सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्र पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

4. निजी वाहन उपयोग करने पर किराया प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता एवं मानक :

(1) उक्त प्रस्तर 3(1) में प्रदत्त तालिका में यथाइंगित श्रेणी-ए में वर्गीकृत महानुभावों/अधिकारियों तथा श्रेणी-बी, सी, डी, एवं ई में वर्गीकृत महानुभावों/अधिकारियों में से प्रस्तर 3(4) में यथाउल्लिखित शासकीय वाहन की अपरिहार्यता वाले महानुभावों/अधिकारियों को छोड़कर श्रेणी- बी, सी, डी एवं ई में वर्गीकृत अन्य महानुभावों/अधिकारियों को उनकी वाहन अनुमन्यता के अनुसार निजी वाहन का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी वाहन का उपयोग करने हेतु इच्छुक महानुभावों/अधिकारियों

107

को मासिक आधार पर किराए की प्रतिपूर्ति की दरें निम्नवत् होंगी :–

श्रेणी	पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों हेतु प्रतिपूर्ति की मासिक दर (₹ में)	ई–वाहन हेतु प्रतिपूर्ति की मासिक दर (₹ में)
1	2	3
बी	41,270.00	55,270.00
सी	38,540.00	48,550.00
डी	33,000.00	43,180.00
ई	27,430.00	37,800.00

(2) किराए की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त निर्धारित दरों में ईंधन (पेट्रोल/डीजल) व्यय सम्मिलित नहीं है। श्रेणीवार ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की मात्रा सम्बन्धी अनुमन्यता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यथानिर्धारित ऊपरी सीमा प्रभावी होगी और उस सीमा के अन्तर्गत माह विशेष के दौरान प्रचलित दर पर ईंधन (पेट्रोल/डीजल) क्रय किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने की दशा में सम्बन्धित महानुभाव/अधिकारी को तदनुसार अतिरिक्त ईंधन (पेट्रोल/डीजल) व्यय की प्रतिपूर्ति भी अनुमन्य होगी। निजी वाहन के इलेक्ट्रिक वाहन होने की दशा में अनुमानित रिचार्जिंग व्यय का संज्ञान उक्तानुसार प्रतिपूर्ति दर निर्धारण हेतु ले लिया गया है, अतः इस हेतु पृथक से प्रतिपूर्ति धनराशि देय नहीं होगी।

(3) निजी वाहन का उपयोग करने पर सम्बन्धित महानुभाव/अधिकारी को ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की मात्रा की ऊपरी अनुमन्य सीमा शासकीय वाहन की दशा में अनुमन्य की गयी ऊपरी सीमा के समान होना आवश्यक नहीं होगा, वरन् निजी वाहन के सम्बन्ध में अनुमन्य श्रेणी के प्रयुक्त वाहन के प्रति किमी. औसत विषयक उपलब्ध प्रमाणों का संज्ञान लेकर अनुमन्य ऊपरी सीमा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम भी किया जा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में शासकीय वाहन के सन्दर्भ में नियत ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होगा।

(4) निजी वाहन का उपयोग करने वाले महानुभाव/अधिकारी के अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश) पर रहने की दशा में कुल अवकाश अवधि का संज्ञान लेते हुए मासिक किराए की प्रतिपूर्ति अनुपातिक आधार पर की जायेगी।

(5) यदि किसी महानुभाव/अधिकारी को एक से अधिक विभागों/पदों का प्रभार आवंटित किया गया हो और उनमें से किसी भी एक विभाग/पद के सापेक्ष शासकीय/आउटसोर्सिंग के आधार पर वाहन उपलब्ध हो तो ऐसे महानुभाव/अधिकारी को निजी वाहन उपयोग के आधार पर किराए की प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

5. बाह्य स्रोत (Outsourcing) के माध्यम से वाहन किराए पर लेने हेतु मानक एवं प्रक्रिया :

(1) उक्त प्रस्तर 3(1) में प्रदत्त तालिका में श्रेणी–ए के अन्तर्गत वर्गीकृत महानुभावों/अधिकारियों तथा प्रस्तर 4 के अन्तर्गत निजी वाहन के उपयोग की सुविधा से आच्छादित महानुभावों/अधिकारियों को छोड़कर अन्य महानुभाव/अधिकारियों के निमित्त बाह्य स्रोत/आउटसोर्सिंग के माध्यम से किराए पर वाहन उनकी अनुमन्य श्रेणी के अनुसार ही लिए जा सकेंगे।

(2) आउटसोर्सिंग के माध्यम से किराए पर डीजल/पेट्रोल चालित वाहन की अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार की जायेगी। इस निमित्त श्रेणीवार किराए की आधार/सन्दर्भ दरें (Basic/Reference rates) निम्नवत् होंगी :–

क्र.सं.	श्रेणी	विभाग द्वारा ईंधन (डीजल/पेट्रोल) की आपूर्ति के साथ किराये की मासिक दरें (₹ में)
1	2	3
1.	बी	48,490.00
2.	सी	44,530.00
3.	डी–ई	31,860.00

(3) उक्त तालिका में उल्लिखित दरें निविदा मूल्यांकन हेतु मात्र आधार/सन्दर्भ दरें हैं और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार निविदा करते हुए कार्य की प्रकृति, स्थान आदि कारकों पर विचार करते हुए न्यायोचित दरें निर्धारित की जा सकेंगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि ईंधन सहित (पेट्रोल/डीजल) वाहन किराए पर लिए जाने हेतु कार्यवाही की जाती है तो ऐसी दशा में

उक्त आधार/सन्दर्भ दरों का संज्ञान ईंधन रहित वाहन के सन्दर्भ में ही लिया जायेगा और ईंधन की अनुमन्यता एवं ईंधन की प्रचलित दरों के आलोक में ही ईंधन सहित वाहन की अधिप्राप्ति दर के सम्बन्ध में निर्णय लिए जा सकेंगे। ई–वाहन की बाह्य स्रोत के माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) देहरादून जनपद के लिए परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में वाहन अधिप्राप्ति समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अपर सचिव, वित्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा अपर/संयुक्त परिवहन आयुक्त, सदस्य होंगे। समिति द्वारा जनपद की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगतं निविदाएं आमंत्रित कर उक्त निर्धारित सांकेतिक दरों/दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेकर जिले के सभी विभागों के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा और जनपद के किसी विभाग द्वारा उक्त दरों के आधार पर बाह्य स्रोत से बिना निविदा प्रक्रिया किए वाहन की अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

(5) अन्य जिलों के लिए (देहरादून जनपद को छोड़कर) बाह्य स्रोतों से वाहन की अधिप्राप्ति हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें क्षेत्रीय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा जिले में तैनात एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त/लेखा सेवा के अधिकारी सदस्य होंगे। समिति द्वारा जनपद की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत निविदाएं आमंत्रित कर उक्त निर्धारित सांकेतिक दरों/दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेकर जिले के सभी विभागों के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा और जनपद के किसी विभाग द्वारा उक्त दरों के आधार पर बाह्य स्रोत से बिना निविदा प्रक्रिया किए वाहन की अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

6. भविष्य में युक्तियुक्त कारणों से उत्पन्न आपवादिक परिस्थितियों में किसी विशिष्ट प्रकरण में यदि उक्तानुसार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य का वाहन क्रय किया जाना अपरिहार्य हो अथवा इस नीति में किसी प्रकार का अग्रेत्तर परिवर्तन–परिवर्धन किया जाना अपेक्षित हो, तो मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यक शिथिलीकरण/संशोधन–परिवर्धन किया जा सकेगा।

7. अतएव, अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार नव निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों के अनुसार वाहन क्रय/अधिप्राप्ति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्याः 212(1)/IX–1/2016/2011/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को माननीय श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Website: www.upcl.org

पत्रांक– 134 – अधी0अभि0(मु0)/उपाकालि/वाहन दिनांक 2/12/24

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा, कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 300/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/57 अनु0ए/वी–2, दिनांक 04.02.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1387– निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/वाहन, दिनांक 29.04.2023 के अनुक्रम में कारपोरेशन इकाईयों/कार्यालयों के लिए वाहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित व्यवस्था/संशोधन किये जाते हैं :–

1. तालिका :

क्रम सं0	पदनाम	वाहन की अनुमन्यता
1	अध्यक्ष, सचिव (ऊर्जा), प्रबन्ध निदेशक	इनोवा क्रिस्टा अथवा समकक्ष; इसके अतिरिक्त कैम्प कार्यालय हेतु एक इनोवा क्रिस्टा भी सम्बद्ध होगी।
2	पूर्णकालिक निदेशक/अधिशासी निदेशक	एक होन्डा सिटि/सियाज/हुँडयी वरना/हुँडयी क्रेटा अथवा समकक्ष इसके अतिरिक्त कैम्प कार्यालय हेतु भी एक स्विफ्ट डिजायर अथवा समकक्ष भी सम्बद्ध होगी ।
3	समस्त मुख्य अभियन्ता, महाप्रबन्धक एवं समकक्ष अधिकारी	एक हुँडयी क्रेटा अथवा समकक्ष ।
4	समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपमहाप्रबन्धक एवं समकक्ष	एक स्विफ्ट डिजायर, बोलेरो अथवा समकक्ष ।
5	खण्ड में तैनात/कार्यरत समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण/जानपद/कार्यशाला/भण्डार परीक्षण एवं परिचालन/द्वितीय कार्य/ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड/अन्य केन्द्रीय पोषित योजना इत्यादि	एक स्विफ्ट डिजायर, बोलेरो अथवा समकक्ष ।
6	उपखण्ड अधिकारी (वितरण/जानपद/द्वितीय कार्य) एवं सहायक अभियन्ता (मीटर/परीक्षण)	एक बोलेरो अथवा समकक्ष ।
7	उक्त उल्लिखित पदनामों के अतिरिक्त कारपोरेशन मुख्यालय के अन्य पदनाम वाहन सुविधा हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा कार्यालय आदेश पारित करते हुए अधिकृत/अधिसूचित किये जा सकते है ।	

2. कारपोरेशन में कार्य आवश्कतानुसार भारी वाहन किराये पर लिये जायेंगे । उपाकालि के किसी भी विभाग को पूल का वाहन प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोंपरान्त ही उपलब्ध कराया जायेगा ।

3. उपरोक्त तालिका में कारपोरेशन मुख्यालय में तैनात क्रम संख्या 2 से 4 एवं क्रम संख्या 7 को उनकी निजी कार के प्रयोग अथवा आउटसोंसिंग के माध्यम से वाहन का विकल्प चुनने से सम्बन्धित वांछित प्राविधान कारपोरेशन के पूर्ववत् कार्यालय ज्ञाप संख्या 1387–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/वाहन, दिनांक 29.04.2023 के अनुसार रहेंगे ।

4. उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पदनामों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को सम्बन्धित कार्य आवश्यकतानुसार आउटसोंसिंग के माध्यम से वाहन सुविधा प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोंपरान्त उपलब्ध करायी जा सकेगी। ऐसे अधिकारियों को बिन्दु सं0–3 के अनुसार उनकी निजी कार के प्रयोग का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होगा।

क्रमशः 2

5. वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 के ज्ञापांक 42–राविप–12/98–5(5)जीए/97, दिनांक 28.02.1998 के प्राविधान पूर्ववत् रहेगे।

6. इसके अतिरिक्त विभागीय Delegation of Power पत्रांक 635/प्र0नि0/उपाकालि/एम–20/सी0सी0, दिनांक 30.01.2021 के विभागीय वाहनों की मरम्मत व किराये पर लेने हेतु अधिकार से सम्बन्धित नियम 9.3 के प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

निदेशकों की समिति की आज्ञा से

पत्रांक– 134 –अधी0अभि0(मु0)/उपाकालि/वाहन/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ ऑफिसर–I, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन/तकनीकि), उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II, उपाकालि, ...
5. महाप्रबन्धक (विधि) एवं कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, ...
9. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल ।

(वी0एस0 पंवार)
अधीक्षण अभियन्ता (मु0)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2763901 फैक्सः 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771